भाग नौ : खण्ड एक

मध्यप्रदेश लोक वानिकी अधिनियम, 2001

धाराएँ :

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा लागू होना ।
2. परिभाषाएँ ।
3. प्रबन्धन योजना का तैयार किया जाना ।
4. प्रबन्धन योजना का अनुमोदन ।
5. प्रबन्धन योजना का क्रियान्वयन ।
6. प्रबन्धन योजना का मानीटर किया जाना ।
7. चार्टर्ड फारेस्टर का नामांकन ।
8. उल्लंघन के लिए दंड ।
9. अपील ।
10. सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण ।
11. नियम बनाने की शक्ति ।
12. अन्य अधिनियम का लागू न होना ।
13. कठिनाई दूर करने की शक्ति ।

(दिनांक 9 अप्रैल, 2001 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 12 अप्रैल, 2001 को प्रथम बार प्रकाशित की गई ।)

मध्यप्रदेश राज्य में निजी और राजस्व भूमि के वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों के प्रबन्धन तथा उससे सशक्त या उससे आनुषंगिक विषयों को विनियमित करने और सुकर बनाने हेतु अधिनियम ।

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में, मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :

टिप्पणी

उद्देश्य और कारणों का कथन - स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वृक्षों के महत्व की उतरोत्तर बढ़ रही स्वीकारोक्ति के साथ अब इस बात की यह अनिवार्यत: आवश्यकता है कि वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों के सतत् विकास के लिए पहल की जाए । मध्यप्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन सरकारी भूमि पर हैं । इसलिए सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित कार्ययोजना के उपबंधों के अनुसार उनका नियन्त्रण और प्रबंन्धन वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है और निजी या राजस्व क्षेत्रों में वृक्षों को काटकर गिराया जाना मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) के अधीन विनियमित किया जाता है। संहिता में वन विभाग की परिधि से बाहर के वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का सतत् प्रबन्धन का लक्ष्य नहीं है, अत: यह विनिश्चित किया गया है कि प्रबन्ध योजना तेयार करने ताकि इसका क्रियान्वयन करके निजी एवं राजस्व भूमि के वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का वैज्ञानिक ढंग से प्रबन्धन आरम्भ किया जाए ।

2. अतएवं, इस प्रयोजन के एिल इस विधि का अधिनियमित किया जाना प्रस्तावित है ।

3. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है ।

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा लागू होना - (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश लोक वानिकी अधिनियम, 2001 हैं।"

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे तथा जिलों के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

(3) यह ऐसे निजी और राजस्व क्षेत्रों को लागू होगा जिनको यथास्थिति भूमिस्वामी, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा, वृक्ष आच्छादित क्षेत्र के रूप में, प्रबन्धन करना चाहता/चाहती है ।

2. परिभाषाएँ : इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अपील प्राधिकारी" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा धारा 9 के अधीन अधिसूचित कोई प्राधिकारी ;

(ख) "संहिता" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959);

(ग) [1]लुप्त ।

---

1. म.प्र. लोकवानिकी (संशोधन) अधि. 2005 जो म.प्र. राजपत्र असा. दि. 15.09.05 पृ. 871-8-72 पर प्रकाशित से संशोधित ।

(घ) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा धारा 4 के अधीन अधिसूचित प्राधिकारी ;

(ड.) "वन अधिकारी" से अभिप्रेत है भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) में यथा परिभाषित ऐसा अधिकारी किन्तु जो वन मंडल अधिकारी के पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो ;

(च) "खाता" और "भूमिस्वामी" के वही अर्थ होंगे जो संहिता में उनके लिए समनुदेशित हैं ;

(छ) "राजस्व अधिकारी" से अभिप्रेत है संहिता में यथा विनिर्दिष्ट ऐसा राजस्व अधिकारी जो उपखंड अधिकारी की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो ;

(ज) "वृक्ष" के वही अर्थ होंगे जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) में, उनके लिए समनुदेशित हैं किन्तु इसमें बांस, ताड़, घनी झाड़ी (ब्रशवुड) और बेंत सम्मिलित नहीं हैं ;

(झ) "वृक्ष आच्छादित क्षेत्र" से अभिप्रेत है ऐसा क्षेत्र जहाँ वृक्षों की संवृद्धि होती है और जिनके लिए धारा 3 के अधीन प्रबंन्धन योजना तैयार की गई हो।

3. प्रबन्धन योजना का तैयार किया जाना - वृक्ष आच्छादित क्षेत्र के वैज्ञानिक प्रबन्धन के लिए किसी के भी द्वारा प्रबन्धन योजना तैयार की जाएगी जिसमें ऐसी विशिष्टयाँ अन्तर्विष्ट होंगी, जैसी कि विहित की जाएं।

4. प्रबन्धन योजना का अनुमोदन - धारा 3 के अधीन तैयार की गई प्रबन्धन योजना, ऐसे सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए, सक्षम प्राधिकारी प्रबन्धन योजना का अनुमोदन ऐसी रीति में कर सकेगा जैसी कि विहित की जाए। प्रबंन्धन योजना का अनुमोद करने के पश्चात्, सक्षम प्राधिकारी भूमि और वृक्षों के ब्यौरों की सूचना संहित की धारा 114-क की उपधारा (2) के अधीन भू-अभिलेख में प्रविष्टि के प्रयोजना के लिए, राजस्व अधिकारी को देगा।

5. प्रबन्धन योजना का क्रियान्वयन - (1) सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित प्रबन्धन योजना प्राप्त हो जाने पर, यथास्थिति प्रत्येक भूमिस्वामी या ग्राम पंचायत या ग्राम सभा उक्त योजना में यथावर्णित विहित समय सूची के अनुसार उक्त योजना का क्रियान्वयन करेगा/करेगी।

(2) यथास्थिति, किसी भूमिस्वामी या ग्राम पंचायत या ग्राम सभा को किसी राजस्व या निजी वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों में, जहाँ कि अनुमोदित प्रबन्धन योजना के अधीन वृक्ष काटकर गिराने की अनुज्ञा दी जा चुकी है, वहाँ मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999 (क्रमांक 12 सन् 1999) के सिवाय किसी अन्य अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किन्हीं नियमों के अधीन वृक्ष काटकर गिराने की कोई अनुज्ञा अपेक्षित नहीं होगी।

(3) जहाँ अनुमोदित प्रबन्धन योजना के अधीन शासकीय वन से लगे हुए राजस्व या निजी वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों में वृक्ष काटकर गिराने की अनुज्ञा दी गई है वहाँ सक्षम प्राधिकारी राजस्व वनों की अवैध कटाई से संरक्षा करने के लिए आवश्यक रक्षोपाय विहित करेगा।

6. प्रबन्ध योजना का मानीटर किया जाना - राज्य सरकार अनुमोदित प्रबन्धन योजना का क्रियान्वयन ऐसी रीति में और ऐसे प्राधिकारी द्वारा मानीअर करेगी जो कि विहित की जाए।

7. लुप्त।

8. उल्लंघन के लिये दण्ड - कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों अनुमोदित प्रबन्धन योजना में सम्मिलित खाते से वृक्ष काटकर गिराएगा या वृक्षों के लट्ठों को हटाएगा तो वह ऐसी शास्ति, जो अन्तर्ग्रस्व वृक्षों के मूल्य के दुगने तक हो सकेगी, किन्तु एक लाख रुपये से अधिक नहीं होगी, का दायी होगा, जैसा कि उपखंड अधिकारी (राजस्व) ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उचित समझे, और उपखंड अधिकारी (राजस्व) गिराए गए वृक्षों या वृक्षों के लट्ठों को संहिता में विहित प्रक्रिया अनुसार अधिह्रत करने का अतिरिक्त आदेश दे सकेगा।

9. अपील - (1) उपखंड अधिकारी (राजस्व) के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश या विनिश्चिय के तीस दिन के भीतर अथवा यदि ऐसे आदेश या विनिश्चिय के तथ्य से उसे संसूचित नहीं किया गया है तो ऐसे आदेश या विनिश्चय के जानकारी में आने के तीस दिन के भीतर, अपील प्राधिकारी को, ऐसी रीति में, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए, लिखित में अपील कर सकेगा।

(2) अपील की सुनवाई के लिए नियम तारीख को अपील प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को व्यक्तिश: या उनके द्वारा सम्यक् रूप से लिखित में किसी प्राधिकृत, अभिकर्त्ता के माध्यम से सुनेगा और उसके पश्चात् आदेश या विनिश्चय की पुष्टि करने, उलटने या उपातरण करने का आदेश पारित करने के लिए अग्रसर होगा।

3. अपील प्राधिकारी द्वारा परित आदेश की प्रतियां सक्षम प्राधिकारी को, अनुपालन के लिए या ऐसे और आदेश पारित करेन के लिए जैसे कि अपील प्राधिकारी द्वारा निदेशित किए जाएं, भेजी जाएंगी।

10. सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण - इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए नियमों के अनुसरण में, सद्‌भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजना या अन्य विधिक कार्रवाई, राज्य सरकार या किसी अधिकारी या प्राधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी ।

11. नियम बनाने की शक्ति - (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् :

(क) वे विशिष्टियाँ जिन्हें धारा 3 के अधीन प्रबन्धन योजना में अंतर्विष्ट किया जाएगा ;

(ख) वह समय जिसके भीतर प्रबन्धन योजना कार्यान्वित की जाएगी ;

(ग) वह रीति जिसमें प्रबन्धन योजना धारा 4 के अधीन अनुमोदित की जाएगी ;

(घ) वह रीति जिसमें तथा वह प्राधिकारी जिसके द्वारा प्रबन्धन योजना, धारा 6 के अधीन मानीटर की जाएगी ;

(ड.) लुप्त ।

(च) वह रीति जिसमें तथा वह फीस जिसके संदाय किए जाने पर धारा 9 के अधीन अपील की जाएगी ;

(छ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए या जो विहित किया जा सके ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे ।

12. अन्य अधिनियम का लागू न होना - इस संहिता में अन्तर्विष्ट कोई बात, वृक्ष अच्छादित क्षेत्रों के प्रबन्धन को उन विषयों के संबंध में लागू नहीं होगी जिसके लिए उपबन्ध इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट है ।

13. कठिनाई दूर करने की शक्ति - इस अधिनियम के क्रियान्वयन करने में कोई कठिनाई उदभूत हो तो राज्य सरकार इस नियमों से असंगत कोई बात कर सकेगी जो कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन है ।

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से दो वर्ष की कालावधि का अवसाद हो जोने के पश्चात् नहीं किया जावेगा ।

मध्यप्रदेश में लोकवानिकी योजना का प्रवृत्त होना

अधि. क्र.	जिले	दिनांक
एफ-26-46-98 दस-2 दि. 15-6-01	(1) होशंगाबाद (2) देवास (3) नरसिंहपुर (4) दमोह (5) सीधी	15-6-2001
एफ-25-46-98- दस-2 दि. 1.8.01	(6) जबलपुर, (7) मन्डला (8) डिंडोरी (9) कटनी (10) सिवनी	1-8-2001
एफ-5-46-98 दस -2 दिनांक 29-4-03	(11) बैतूल, (12) भोपाल, (13) रायसेन (14) राजगढ़ (15) सीहोर (16) विदिशा (17) भिण्ड (18) मुरैना (19) श्योपुर (20) दतिया (21) गुना (22) धार (23) ग्वालियर (24) शिवपुरी (25) हरदा (26) इन्दौर (27) झाबुआ (28) खण्डवा (29) खरगोन (30) बड़वानी (31) बालाघाट (32) छिन्दवाडा (33) रीवा (34) सतना (35) शहडोल (36) उमरिया (37) छतरपुर (38) पन्ना (39) सागर (40) टीकमगढ़ (41) मन्दसौर (42) नीमच (43) रतलाम (44) शाजापुर (45) उज्जैन	1-5-2003

1. म.प्र. लोकवानिकी अधि. 2005 से धारा 7 लुप्त ।